उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-178जीआई/नौ-5-2014-216सा/2014
लखनऊ:: दिनांक: 01 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एस(डब्ल्यूआर)/गंगा राजू/2014 दिनांक 20 जून, 2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में रोड मैप तथा कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु सचिवों का समूह गठित किया गया है। इस सम्बन्ध में अपेक्षा की गई है कि भारत सरकार की भांति राज्य स्तर पर भी जल संसाधन के कार्य को देख रहे विभाग को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु नोडल एजेन्सी/विभाग नामित किया जाय, जिससे गंगा पुनरूद्धार के दृष्टिकोण-पत्र (Vision Document) तैयार किये जाने एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य त्वरित गति से समन्वय हो सके।

2- अतः भारत सरकार के "गंगा पुनरूद्धार" (Ganga Rejuvenation) कार्यक्रम के अन्तर्गत दृष्टिकोण-पत्र तैयार किये जाने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य त्वरित समन्वय हेतु सम्यक् विचारोपरान्त नगर विकास विभाग को एतद्द्वारा नोडल विभाग नामित किया जाता है।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या-178जीआई(1)/नौ-5-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3- मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/सिंचाई/पर्यावरण/भूमि विकास एवं जल संसाधन/सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, 2-लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
12- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
13- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
14- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
28/7/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।